

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 02.05.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 155/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारन्टी अभियुक्त कुलदीप पाण्डेय पुत्र अरूण कुमार नि0 आलमचन्दपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 171/25 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त प्रतीक चक पुत्र राजेश चक निवासी पटेल नगर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अ0सं0- 809/24 धारा 125(3) द0प्र0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्त राघवेन्द्र यादव पुत्र मनीराम नि0 शेखपुर थाना सट्टी कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0नं0 455/18 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त चमन पुत्र इशाक उम्र 38वर्ष सितमर्मा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा एनसीआर नं0 44/25 धारा 115(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित निषाद पुत्र रामेस्वर नि0 कस्वा राजपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा एनसीआर नं0 46/25 धारा 115(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रविन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह 2. रामसंकर सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह निवासीगण भाल थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 705/23 धारा 125(3) द0प्र0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्त विकास पुत्र जगमोहनसिंह नि0 साबापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 25 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 9 व्यक्तियों, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना देवराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।